FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

अज अदालत अपीलार्थी–ओमप्रकाश पुत्र श्री पांचाराम **मुकाम** बाड़मेर

बनाम उत्तरदाता– तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

किस्म मुकदमा विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 5 (2) राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 **नं.** 01 **सन्** 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.26	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रेखाराम चौधरी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से यह विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 5(2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वधप्रतिरोध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 के तहत ग्राम खारिया तला से गौशाला श्री सुर्यपुत्रशनिदेव सेवा समिति गौशाला रामगढ़ जिला जैसलमेर मे ले जाने की परिवहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से रिपोर्ट तलब की, प्राप्त जांच रिपोर्ट में प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा आवारा सांड, बैल, गाय, बछडों आदि को पालन पोषण के लिए ग्राम खारिया तला से गौशाला श्री सुर्यपुत्रशनिदेव सेवा समिति गौशाला रामगढ़ जिला जैसलमेर ले जाना चाहते है। इस पर तहसीलदार ग्रामीण द्वारा आवारा गोवंश को छोड़ने के लिए वाहन संख्या RJ04GC8381 का उपयोग किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिसमे पाया जाता है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वधप्रतिरोध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 की धारा 5(2) में यह प्रावधान है कि "Notwithstanding anything contained in sub-Section (1) temporary migration of bovine animal from the famine and scarcity affected areas of Rajasthan may be allowed by the Competent Authority to other State in India for grazing purposes tinder a valid permit in the manner prescribed and hereinafter laid down" जबकि प्रार्थी द्वारा ग्राम [illegible] श्री सुर्यपुत्रशनिदेव सेवा समिति गौशाला रा[illegible] जैसलमेर (राजस्थान) परिवहन ले जा[illegible] इसमें परिवहन का जो उद्देश्य प्रकट किया है वह [illegible] अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही धारा 5(2) मे राजस्थान राज्य से दूसरे राज्य ले जाने हेतु अनुमति का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि सम्मत नहीं होने के साथ ही उचित कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।	

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested